दिनांक–27.02.2018 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) की 09वीं बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

कार्यवाही :–

एजेण्डा 1/5

दिनांक–22.12.2017 को सम्पन्न SHPSC की 08 वीं बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा 2/5

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा AMRUT योजना से आच्छादित पूर्णियाँ शहर के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) से अनुशंसित जलापूर्ति योजना फेज–2 का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर चर्चा के बाद SHPSC द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू में)

योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O& M Cost	वचनबद्ध केन्द्रांश की राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि	नगर निकाय का अंशदान की राशि	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
			Estimated Capital Cost का 50%	Estimated Capital Cost का 30%	Estimated Capital Cost का 20%+ Estimated O&M Cost का 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–2	8534.34	836.70	4267.17	2560.302	2543.568	9371.04	Tubewells - 13 Nos Rising Main - 650m OHR- 8 Nos (4994 KL) Distribution Pipe Line - 155479 M HH Connection - 20048 SCADA Yes

एजेण्डा 3/5

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) से अनुशंसित मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर चर्चा के बाद SHPSC द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत योजना का विवरण निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू में)

योजना का नाम	प्राक्कलित राशि		केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि	राज्यांश की वचनबद्ध राशि		नगर निकाय का अंशदान	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
	कैपिटल कॉस्ट	सेंटेज	Estimated Capital Cost का 50%	Estimated Capital Cost का 30%	Centage	Estimated Capital Cost का 20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुजफ्फरपुर स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना	15269.00	572.69	7634.50	4580.70	572.69	3053.80	15841.69	Total Lenght of Drain - 22.409 km, (Drain with cover 5.685 km, Drain without cover 16.724 Km), Depth of Drain- 1000mm to 3000 mm, width of Drain- 1000mm to 5000 mm, Culvert- 21 Nos, STP-3 Nos. Population Covered 388681(2011 Census)

एजेण्डा 4/5

दरभंगा नगर निगम के लिए स्वीकृत जलापूर्ति योजना फेज–I SAAP-I से ही इस नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी परिवारों को जलापूर्ति किया जा सकेगा। जबकि SAAP-III में दरभंगा नगर निगम के लिए जलापूर्ति योजना फेज–II को स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त के आलोक में SLTC द्वारा SAAP-III में स्वीकृत दरभंगा योजना फेज–II को रद्द करने की अनुशंसा की गयी। चर्चा के बाद उक्त प्रस्ताव पर SHPSC द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा 5/5

AMRUT योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका–10.2 में अंकित प्रावधान के अनुसार एक राज्य मिशन निदेशक होगा जिसमें राज्य सरकार के सचिव के स्तर के ही एक अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और जो एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (PMU) और एक परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) के साथ कार्य करेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन State Level Nodal Agency के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) अन्य केन्द्र संपोषित योजना के साथ AMRUT योजना के लिए कार्यरत है। अतएव BUDA को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर SHPSC द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

27/2/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांकः– 03/AMRUT-21-02/2015 433 दिनांकः– 27/2/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/पथ निर्माण विभाग/उर्जा विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार /संयुक्त सचिव (SBM) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।